न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 37/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/43)

महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1.श्री रणजीत सिंह निर्वाण – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 05.02.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 28.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.09.2021 से तहसील भादरा के चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु. नं. 26 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, मु. नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 तथा मु. नं. 36 के किला नं. 1 कुल 1. 291 हैक्टयर गै. मु. शमशान भूमि की किस्म खारिज कर आराजीराज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि चक 4 जेजीडब्ल्यू के मुरबा नं. 26 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मुरबा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20 तथा मुरबा नं. 36 के किला नं. 1 कुल 1.291 हैक्टेयर गैर मुमकिन शमशान भूमि चली आ रही है। जिसमे वर्षो से अड़ौस पड़ौस के निवासीगण अपने परिवार व पूवर्जो का दाह संस्कार करते चले आ रहे है तथा अपीलान्ट के पुत्र सनतसिह का भी दांह संस्कार किया हुआ है तथा मौके पर उनकी समाधि भी बनी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व बिना किसी नोटिस व विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर मुमकिन शमशान भूमि से अराजीराज दर्ज कर भारी भूल की है। मौके पर आज भी अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियो द्वारा अपने परिवार व रिश्तेदारो का दाहसंस्कार किया जा रहा है, छोटे बच्चो की जिनकी मृत्यु होती है उनको वहा दफनाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा मनमाने ढग से गैर मुमकिन शमशान भूमि को मुमकिन अराजीराज दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर बिना ग्राम पंचायत की सहमति के बिना व बिना निवासीगण जिनके पूर्वज व रिश्तेदारो का दाह सस्कार वहा किया जाता है की सहमति व सूचना के बगैर मनमाने ढग से अराजीराज दर्ज कर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील एवं स्थगन आदेश खारिज किया जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 28.09.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 27.06.2022 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 12.06.2022 को हुई, तथा जिसकी बाद नकल तैयारी दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरूद्व काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन भूमि पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रार्थी के पुत्र की समाधी बनी हुई है व प्रार्थी व परिवार के अन्य सदस्यो का अन्तिम सस्कार हो रखा है, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया था प्रार्थी के पीठ पीछे एक तरफा आदेश पारित किया गया था। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब/खण्डन प्रस्तुत नही हुआ है, ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

8. अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2021 जिसके द्वारा तहसील भादरा के चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु. नं. 26 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, मु. नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 तथा मु. नं. 36 के किला नं. 1 कुल 1. 291 हैक्टयर गै. मु. शमशान भूमि की किस्म खारिज कर आराजीराज किया गया है। ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा जरिए प्रस्ताव संख्या 35 दिनांक 20.07.2021 से चक 4 JGW में शमशान के नाम दर्ज भूमि मे से प्रयोग मे नही आई भूमि पुलिस चौकी को आवटित करने हेतु सहमति प्रदान की गई। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी छानीबड़ी की रिपोर्ट दिनांक 17.09. 2021 अनुसार ग्राम पंचायत छानीबड़ी की जो भूमि शमशान प्रयोजनार्थ काम आ रही है वह चक 5 CHN में राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, चक 4 JGW की 1.291 हैक्टेयर भूमि वर्तमान मे दाह संस्कार नही होना रिपोर्ट मे प्रतिवेदित किया गया है। चक 4 JGW के मु. नं. 26, 35 व 36 की कुल 1.291 हैक्टेयर गै. मु. शमशान दर्ज भूमि मे से 0.810 हैक्टेयर भूमि को ही जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पुलिस चौकी छानीबड़ी हेतु आवंटित किया गया जो कि राजकीय विभाग के उपयोग हेतु आवंटित है व जनोपयोगी है। चूंकि राजकीय भूमि का बेहतर जनउपयोग व्यापक जनहित में सुनिश्चित करना राजस्व प्रशासन का दायित्व है, तद्नुसार ही परीक्षणपरांत जिला कलक्टर द्वारा भूमि की किस्म खारिज की जाकर आराजीराज किया गया है। उक्तानुसार तथ्यो व पत्रावली के अवलोकन, विश्लेषण परांत अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर